

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 16.03.2024

20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 1 किग्रा0 यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र जुगनू निवासी अमरुदमंडी चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 1 किग्रा0 यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता व आपराधिक इतिहास-

राहुल पुत्र जुगनू निवासी अमरुदमंडी चकरा अब्बल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 0088/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272 भा0द0स0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 1 किग्रा0 यूरिया व 200 ग्राम नौसादर

गिरफ्तारी की टीम -

- 1- उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2- हे0कां0 हृदयेश कुमार सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3- कां0 सत्यप्रकाश यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर